

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 19 () 13 / कार्मिक-राज / प्रमुवसं 2368-2400 दिनांक:- 20.5.2013
निमित्त,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (टी.आर.ई.ई.) राजस्थान, जयपुर।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त, राज.जयपुर।

अतिप्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राज.जयपुर/
परियोजना निदेशक, आर.एफ.बी.पी.-II, जयपुर।

मुख्य वन संरक्षक,

अजमेर/जयपुर/उदयपुर/भरतपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर।

मुख्य वन संरक्षक,

वन्य जीव, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/भरतपुर।

मुख्य वन संरक्षक,

तेन्दू पत्ता, जयपुर/विभागीय कार्य, जयपुर/आई.टी.जयपुर/

बनास नदी परि० जयपुर/आर.वी.पी.कोटा/अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, जयपुर/

सिल्वीकल्चर, जयपुर/समवर्ती मूल्यांकन, जयपुर।

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन सचिव, मेडिसिनल प्लान्ट बोर्ड, जयपुर।

सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

सदस्य सचिव, राजस्थान बायोडायवर्सिटी बोर्ड, जयपुर।

वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, बाघ परियोजना सरिस्का, मुख्यालय

अलवर/रणथम्भौर, सवाईमाधोपुर।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जोधपुर।


विषय:-स्थानान्तरण/पदस्थापन-बम्बत।

प्रसंग:-राज्यादेश क्रमांक 12(7)वन/2012 पार्ट दिनांक 6.5.13 एवं 10.5.13 तथा
कार्मिक (क-1) विभाग का आदेश क्रमांक प. 5(3)कार्मिक/क-1/2013
दिनांक 11.5.13

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक राज्यादेशों से भारतीय वन सेवा/राजस्थान वन सेवा के अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन किए गए हैं, जिनकी प्रतिलिपियाँ इस कार्यालय के पत्र पृष्ठांकन 2029-60 दिनांक 9.5.13, 2212-37 दिनांक 14.5.13 एवं 2185-2211 दिनांक 14.5.13 से आपको पृष्ठांकित की गई है तथा विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। इस कार्यालय की जानकारी में आया है कि कतिपय अधिकारियों द्वारा अभी तक अपने नवीन पदस्थापन पर उपस्थिति देकर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। माननीय वन मंत्री/राज्य सरकार द्वारा इसे काफी गंभीरता से लिया गया है।

अतः आपके कार्यालय एवं आपके अधीनस्थ कार्यालयों में पदस्थापित संबंधित अधिकारी को तत्काल भारमुक्त करवाकर उन्हें 3 दिवस में नवीन पदस्थापन पर उपस्थिति देने हेतु निर्देशित कर इस कार्यालय को सूचित कराने का कष्ट करें।


(वीरेन्द्र सिंह)

अतिप्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन),
राजस्थान, जयपुर।